विवरण-II

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
गुजरात राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची

19. बरदा

20. भावचा, बामचा

21. भारवाड़ (अलेघ बारदा तथा मीर के जंगलो के नेसेज में)

22. भील, भील, गारसिया, धोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गारसिया, मेबासी भील, रावल भील, ताडवी भील भागालिया, पावारा, वासवा, वासवे

23. चारण (अलेच, बारादा तथा गीर के जंगलो के नेसेज में)

24. चौधरी (सूरत तथा वलसाद जिला)

25. कोधरा

26. ढांका, ताडवी, तेतारिया, काल्वी

27. धोदिया

28. दुबला, तालविया, हालपती

29. गामित, गामता, गावित,मावची , पाडवी

30. गोंड, राजगोंड

31. काथोदी, काठोरी, ढोर, काथोदी, डोरा काठोदी, सोन का थोदी, सोन काथोदी

32. कोकना, कोकनी, कुकना

33. कोली (कच्छ जिला में)

34. कोली ढोर, तीकरे, कोली, कोलचा, कोलथा

35. कुंबी (डांग्स जिला में)

36. नाइकडा, कोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, बोता नायक, नाना नायक

37. पाधार

38. पारधी (कच्छ जिला में)

39. पारधी, आदवी चिचेंर, पान्से पादधी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ, कच्छ, राजकोठ तथा सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)

40. पाटेलिया

41. पेमला

42. राबड़ी (अलेच, बारादा तथा गीर के जंगलों में नेसेज में)

43. राठवा

44. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट तथा सुरेन्द्रनगर जिलो में)

45. वाधरी (कच्छ जिलो में)

46. वारली

47. विटोला, कोटवालिया, बरोदिया

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों के लिए विशेष कार्य योजना

1392. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों में विशेष कार्य योजना के अंतर्गत आवश्यक सामग्री प्रदान करने और इन छात्रावासों की स्थिति में सुधार करने के लिए वर्ष 1994-95 और 1996 के दौरान कितनो धनराशि प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इस राशि में से कितनी राशि छात्रावासों और आश्रम भवनों की मरम्मत और उनमें आवश्यक सामग्री प्रदान करने हेतु व्यय की गई; और

(घ) इस विशेष कार्य योजना के बावजूद जिलेवार, ऐसे छात्रवासों और आश्रमों की संख्या का ब्यौरा क्या हैं जिन्हे आवश्यक सामग्री प्रदान नहीं की गई अथवा उनकी मरम्मत नहीं की गई तथा इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) यह मंत्रालय मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को होस्टलों में आवश्यक सामग्री प्रदान करने या होस्टलो की मरम्मत के लिए किसी विशेष कार्य योजना के अंतर्गत अनुदान नहीं देता हैं। तथापि, यह मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़को के लिए होस्टल, लड़कियों के लिए होस्टल तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रो के लिए आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान स्वीकृत करने की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा हैं।

सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र

1393. **श्री अजीत जोगी** :

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवाओं मे विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को केवल विकलांग व्यक्तियों से ही भरा जा रहा हैं;